रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 1987/ श्रावण 26, 1909
No. 419] NEW DELHI, MONDAY, AUG. 17, 1987/SRAVANA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1987

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 780 (अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामशः

1. (1) यह आदेश निर्यात (नियंत्रण) 13वा संशोधन आदेश, 1987 कहा जाए ।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगा ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में :—

(1) क्रम सं. 62 के सामने प्रविष्टि के लिए अनुसूची-I, भाग-क में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः
"गंधक (अधुलनशील गंधक को छोड़कर)"

(2) क्रम संख्या 49 (19) के पश्चात् अनुसूची-I, भाग "ख" में और इससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, नामशः—

"49(20)—अधुलनशील गन्धक"

[सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम(344), फाइल सं. 35(3)/86-ई-2]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पाद टिप्पणी :—समय-समय पर यथासंशोधित भारत के राजपत्र, 1977 (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ 1271 में प्रकाशित मुख्य आदेश अर्थात् निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 जो अधिसूचना सं. एस ओ सं. 254(ई) दिनांक 24-3-1977 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

अंतिम संशोधन भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में ई (सी) ओ, 1977/ए एम (343), दिनांक 3-7-1987 द्वारा प्रकाशित किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 17th August, 1987

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 780(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) Thirteenth Amendment Order, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Exports (Control) Order, 1977,—

(i) in Schedule I, Part 'A', for the entry against serial number 62, the following shall be substituted, namely :—

"Sulphur (excluding insoluble sulphur)",

(ii) in Schedule I, Part 'B', after serial number 49(19) and entry relating thereto, the following entry shall be added, namely :—

"49(20)—Insoluble Sulphur".

[No. E(C)O, 1977|AM(344) File No. 35(3)|86|E-II]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

FOOT NOTE : Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977, published vide Notification S. O. No. 254(E), dated 24-3-1977, published in Gazette of India, 1977 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) page 1271, as amended from time to time.

The last Amendment made vide E(C)O, 1977|AM(343) dated 3-7-1987 in Part II, Section 3, Sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987